



रजि० नं० एल. डब्ल्यू./एन. पी. 56

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू पी०- 41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पीप 9, 1915 गण पम्बन

उत्तर प्रदेश सरकार

द्वारा विधायी अनुभाग-1

संख्या 1695 / सत्रह-वि०-1-1-(क)-24-1993

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अधिनियम, 1993

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1993]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 के निरसन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चत्तारवीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अधिनियम, 1993 कहलायेगा।

(2) यह 6 दिसम्बर, 1993 की प्रवृत्त हुआ समाप्ता जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

5193

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
25 सन् 1992
का निरसन

2--उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

3--उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर
प्रदेश
संख्या
सन्

आज्ञा से,
एन 0 के 0 नारंग,
सचिव।

No. 1695 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 24-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sarvajnik Pariksha (Anuchit Sadhanon Ka Nivaran) (Nirсан) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) (REPEAL) ACT, 1993

[U. P. ACT NO. 5 OF 1993]

(As passed by the U. P. legislature)

AN

ACT

To repeal the Uttar Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) (Repeal) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 6, 1993.

Repeal of U. P. Act No. 25 of 1992

2. The Uttar Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 1992 is hereby repealed.

Repeal

3. The Uttar Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) (Repeal) Ordinance, 1993 is hereby repealed.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी 0 एच 0 यू 0 पी 0 0 --- ए 0 पी 0 74 स 0 (विद्यार्थी) --- (2758) --- 1993-850 (भ्रू 0) ।